भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4024
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के तहत पारदर्शिता और शिकायत निवारण

4024. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर तमिलनाडु में अरणी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने किसानों का नामांकन हुआ है और दावों का निपटान किया गया है;
(ख) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संकटग्रस्त किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए दावों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में छोटे और सीमांत किसानों के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;
(घ) सरकार की इस योजना के अंतर्गत कम दावा राशि और कतिपय फसलों अथवा क्षेत्रों को बाहर रखे जाने के संबंध में शिकायतों का समाधान किस प्रकार करने की योजना है; और
(ङ) क्या किसानों के हितों की रक्षा के लिए योजना की पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक (31.12.2025 तक) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत नामांकित किसान आवेदनों, भुगतान किए गए दावों और लाभान्वित किसान आवेदनों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान, तमिलनाडु के तिरुवनमलाई जिले में PMFBY के तहत 3,03,584 किसान आवेदनों को नामांकित किया गया है और 19,793 किसान आवेदनों को कुल 4.00 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार, तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में PMFBY के तहत 7,23,778 किसान आवेदनों को नामांकित किया गया है और 1,96,584 किसान आवेदनों को कुल 89.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

(ख): इस योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर, यानी संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर, बीमा कंपनियों द्वारा अधिकांश दावों का निपटान कर दिया जाता है। हालांकि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जो मुख्य रूप से (क) राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के हिस्से के प्रावधान में देरी (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावों का भुगतान न होना/देरी से भुगतान होना या कम भुगतान होना (ग) उपज डेटा में विसंगति और परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण थीं। इन मुद्दों के कारण लंबित दावों का निपटान योजना के प्रावधानों के अनुसार उनके समाधान के बाद किया जाता है।

(ग): खरीफ 2021 से तमिलनाडु में कुल 10 फसल बीमा सप्ताह आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, रबी 2021-22 से 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के तहत ऋणी किसानों को लगभग 1.17 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियां वितरित की गई हैं।

फसल बीमा सप्ताह का आयोजन प्रत्येक मौसम में 1 से 7 जुलाई और 1 से 7 दिसंबर तक किसानों को फसल बीमा के लाभों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने के लिए किया जाता है। इस अभियान में किसान, सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि और स्थानीय ओपिनियन लीडर्स सहित स्थानीय हितधारकों को शामिल किया जाता है ताकि विभिन्न जागरूकता और प्रचार गतिविधियों के माध्यम से फसल बीमा के बारे में अधिक समझ और भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।

खरीफ 2021 से अब तक कुल 3,470 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 54,890 हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, 14,600 फसल बीमा पाठशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 2,45,790 किसानों ने भाग लिया।

(घ): बहुत कम मूल्य के दावों को रोकने के लिए, 1 फरवरी, 2026 से न्यूनतम दावा राशि प्रति सीजन/प्रति योजना 100 रुपये तय कर दी गई है। इस राशि को अगले सीजन के किसान प्रीमियम में समायोजित किया जा सकता है या उसी किसान के अगले सीजन की दावा राशि में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने प्रति किसान/प्रति सीजन न्यूनतम दावा राशि 1000 रुपये निर्धारित की है।

इसके अलावा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली फसलों और जिलों की अधिसूचना जारी करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है और इस संबंध में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ): चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित सभी प्रकार की शिकायतों के समाधान हेतु, संशोधित प्रचालन दिशा-निर्देशों में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC) और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) जैसी स्तरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इन समितियों को प्रचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिए गए हैं, जिसके तहत वे शिकायतों की सुनवाई करेंगी और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान करेंगी।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/समस्याएं दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए समयसीमा भी निर्धारित की गई है।

अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक PMFBY के तहत कवर किए गए और भुगतान किए गए दावों का विवरण (दिनांक 31.12.2025 तक)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	बीमित आवेदन (संख्या में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लाभान्वित आवेदन (संख्या में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	571	0.05	130
आंध्र प्रदेश	3,48,81,333	751.94	15,27,456
असम	24,67,541	173.39	2,66,386
छत्तीसगढ़	2,39,37,249	1,392.68	36,97,466
गोवा	1,223	0.01	70
हरियाणा	2,99,11,707	3,149.98	56,62,712
हिमाचल प्रदेश	8,60,040	214.16	2,94,606
जम्मू एवं कश्मीर	5,45,247	67.56	1,80,331
झारखंड	27,01,803	-	-
कर्नाटक	94,35,377	8,564.92	60,56,137
केरल	5,40,296	346.68	2,51,450
मध्य प्रदेश	5,40,47,202	3,309.07	1,18,98,779
महाराष्ट्र	5,69,54,426	20,780.47	2,88,05,503
मणिपुर	13,758	5.29	10,603
मेघालय	86,997	24.01	33,123
ओडिशा	3,68,63,540	967.85	38,06,493
पुदुचेरी	1,29,984	9.71	31,344
राजस्थान	11,46,66,264	9,929.69	2,50,93,398
सिक्किम	8,874	0.01	35
तमिलनाडु	1,69,66,741	2,446.69	58,07,644
त्रिपुरा	7,46,045	4.46	36,375
उत्तर प्रदेश	2,11,29,576	1,882.33	41,76,924
उत्तराखंड	7,57,106	862.33	5,32,447
कुल	**40,76,52,900**	**54,883.28**	**9,81,69,412**
